... की जाकर पत्रावली दिनांक 18/5/23 को पेश हो।

01/5/23 प्रचावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 21/5/23 को पेश हो।

21/5/23 प्रचावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 16/6/23 को पेश हो।

प्रचावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार ---- को पेश हो।

16/6/23 पत्रावली पेश हुई। अ०प्रा० प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बाबत् Reg. AD पेश नहीं आयी अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली के बहस एकपक्षीय सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश 4/7/23 को पेश हो।

04/07/23 पत्रावली पेश हुई। अ०प्रा० प्रार्थी उपस्थित समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 11/07/23 को पेश हो।

11/07/23 पत्रावली पेश हुई। अ०प्रा० प्रार्थी उपस्थित "अप्रार्थीगण के विरुद्ध [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 404/1.01 बीघा स्थित ग्राम [illegible] पट्टी के मौके की यथास्थिति

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जावे रहे। विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद पत्र के साथ संलग्न होवे। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस)

वाद कमांकः– 97 / 2022

1. लीला पत्नी चरनसिंह जाति गडरिया निवासी कुन्देर तहसील रूपबास जिला भरतपुर।

...................प्रार्थी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र अमोलक
2. तेजसिंह
3. योगेन्द्र
4. महेन्द्र पुत्रान गंगाराम समस्त जातियान गडरिया निवासी कुन्देर तहसील उच्चैन हाल आबाद व्यास कॉलोनी उच्चैन तहसील उच्चैन।

..................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थितिः–

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट

दिनांकः– 11.07.2023

निर्णय

प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 402 रकवा 1 बीघा 01 विस्वा बाकै ग्राम जुगलापट्टी तहसील उच्चैन में स्थित है जिसमें वादिनी 2/3 की हिस्सेदार कास्तकार एवं काबिज आराजी है। नकल जमाबंदी सम्बत् 2072 से 2075 संलग्न है। उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा एवं संबंध सरोकार नहीं रहा है परन्तु अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर जबरन येन केन कब्जाकर हडपना चाहते है तथा कच्चा पक्का निमार्ण करने पर उतारू है चूकि अप्रार्थीगण उच्चैन में निवास करते है तथा प्रार्थी व उसका परिवार गांव कुन्देर में निवास करते है। दिनांक 27.04.2018 को प्रार्थिनी का पुत्र हाकिम सिंह उक्त आराजी की देखभाल करने गया तो अप्रार्थीगण व उसके परिवार की महिलाओं ने प्रार्थी के पुत्र व भतीजे पर जानलेवा हमला कर दिया जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना उच्चैन में मुकदामा नं0 0101/18 पर दर्ज है। दिनांक 27.06.2018 को प्रार्थी जब आराजी की जुताई बुबाई करने गई तो अप्रार्थीगण एकदम उग्र हो गये एवं प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with ACE Scanner

उसको तुमने जेल में बंद कर दिया है अब हम उक्त नुकसान की एवज में तेरे हिस्से की आराजी पर कब्जा कर लेंगे तथा हम तुम्हें लठ्ठ की ताकत के बल पर बेदखल कर देंगे।

प्रकरण दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्र्ड नोटिस की गई। अप्रार्थीगण बाबजूद रजिस्टर्ड तलवी हाजिर अदालत नहीं आये अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 16.06.2023 को अमल में लायी गई। दिनांक 04.07.2023 को बहस एकपक्षीय सुनी गई। विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया पत्रावली, शपथपत्र, एवं पत्रावली के साथ पेश राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी उक्त विवादित आराजी में 2/3 की रिकार्डेड खातेदार कास्तकार है।

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थाई निषेधज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 402/1.01 बीघा बाकै ग्राम जुगलापट्टी तहसील उच्चैन में मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जोगेन्द्र सिंह(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

Scanned with ACE Scanner